वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन-2025-26

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2025–26

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेन्स एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर

प्रथम तल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, 2–2ए, झालाना डूंगरी, जयपुर (राजस्थान)–302004

E-mail :- rspfcl@rajasthan.gov.in Tel.No.: +91-141-2708611

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	कॉरपोरेशन : एक परिचय	1
2.	संगठनात्मक ढाँचा	3
3.	स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण	4
4.	प्रमुख कार्य, प्रगति एवं विगत तीन वर्षों की तुलना	6
5.	वर्ष 2025–26 की विशेष उपलब्धियाँ	11
6.	सार– संक्षेप	11
7.	दूरभाष निर्देशिका	12

कॉरपोरेशनः एक परिचय

गठन

राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSPFCL) का गठन मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 04.10.2012 की पालना में किया जाकर इसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में पंजीकृत कराया गया।

कॉरपोरेशन को गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (Non-Banking Financial Company) के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2013 को जारी किया।

पुनः मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा इस कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। पुनर्गठित कॉरपोरेशन का नाम **राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance & Financial Services Corporation Ltd.)** किया गया।

राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि जिसे वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं, को इस कॉरपोरेशन में जमा करवाने का प्रावधान किया गया। इस जमा राशि पर उन्हें कॉरपोरेशन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ब्याज दिये जाने का भी प्रावधान किया गया। कॉरपोरेशन के पास उपलब्ध एवं एकत्र ऐसी धनराशि से राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को उनकी आवश्यकता होने पर ऋण, बाजार दर से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

पुनर्गठन उपरांत कम्पनी का नवीन नाम रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के रिकार्ड में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनर्गठित कम्पनी को गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

उद्देश्य

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैंः–

1. राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेशन को उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना।
2. जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
3. राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की प्राप्ति हेतु बैंकों पर निर्भरता में कमी लाना।
4. राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Government Guarantees) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।
5. विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन तथा रखरखाव हेतु सीधे तौर पर, परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं की साझेदारी में दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
6. राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध अंशराशि (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्धता हेतु अधिकतम [Optimum] उपयोग किया जाना।
7. जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।
8. राजकीय उपक्रमों की धनराशि (Funds) हेतु बैंको पर निर्भरता में कमी लाना।
9. राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Govt. Guarantee) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।

संगठनात्मक ढाँचा

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसका प्रशासनिक विभाग, राजस्थान सरकार का वित्त विभाग है।

प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार इसके पदेन अध्यक्ष है तथा शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, प्रबंध निदेशक हैं।

वर्तमान में कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्नानुसार हैः—

1.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	प्रबंध निदेशक
3.	अतिरिक्त शासन सचिव, उद्योग विभाग	निदेशक
4.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम	निदेशक
5.	शासन सचिव, राजस्व विभाग	निदेशक
6.	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	निदेशक
7.	शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	निदेशक
8.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	निदेशक
9.	प्रबंध निदेशक, रीको	निदेशक

स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

कॉरपोरेशन के पुनर्गठन उपरांत राज्य सरकार द्वारा 32 विभिन्न पद स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत 32 पदों में से 25 पद प्रतिनियुक्ति से, 6 पदों पर विशेष चयन से एवं 1 पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का प्रावधान है। स्वीकृत पदों एवं रिक्तियों का विवरण (31.12.2025 की स्थिति) निम्नानुसार है–

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्तियाँ
1.	कार्यकारी निदेशक	01	00	01
2.	महाप्रबंधक (वित्त)*	01	01	–
3.	महाप्रबंधक (सिस्टम)	01	01	–
4.	महाप्रबंधक (HR/Adm/Vig.)	01	00	01
5.	महाप्रबंधक (क्रेडिट एवं निवेश)	01	00	01
6.	महाप्रबंधक (फंड़ मोबिलाइजेशन और बैंकिग)	01	00	01
7.	अतिरिक्त महाप्रबंधक (बैंकिग)	01	00	01
8.	सहायक महाप्रबंधक (Adm/HR)	01	01	–
9.	सहायक महाप्रबंधक (लेखा) *	01	01	–
10.	कंपनी सचिव **	01	01	–
11.	प्रबंधक (बजट एवं उपापन)	01	01	–
12.	प्रबंधक (लेखा एवं ऑडिट)	01	00	01
13.	प्रबंधक (लेखा)	01	01	–
14.	प्रबंधक (फंड मोबिलाईजेशन और पुनर्भुगतान)	01	01	00

15.	प्रबंधक / उपप्रबंधक(NBFC विनियामक एवं अनुपालना)	01	00	01
16.	प्रबंधक (ऋण एवं वसूली)	01	00	01
17.	सहायक प्रबंधक (विधि)	01	00	01
18.	सहायक प्रबंधक (बिल)	01	01	00
19.	सहायक प्रबंधक (आशुलिपिक)	02	00	02
20.	एग्जीक्यूटिव (HR/Adm)	01	00	01
21.	एग्जीक्यूटिव (IT)	02	02	00
22.	सहायक एग्जीक्यूटिव (बिल एवं नगद)	01	00	01
23.	सहायक एग्जीक्यूटिव (ड्राईवर)	02	00	02
24.	सहायक	06	00	06
	कुल	**32**	**11**	**21**

* महाप्रबंधक (वित्त) एवं सहायक महाप्रबंधक (लेखा) अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यरत हैं।

** कम्पनी सचिव की सेवाएँ कम्पनी सचिव फर्म से नियमानुसार संविदा आधार पर प्राप्त की जा रही हैं।

प्रमुख कार्य, प्रगति एंव विगत तीन वर्षों की तुलना

➢ प्रमुख कार्य

- कॉरपोरेशन द्वारा नियमित कार्य हेतु अब तक डिपोजिट नीति (Deposit Policy), ब्याज दर नीति (Interest Rate Policy), कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (Corporate Social Responsibility Policy), निवेश नीति (Investment Policy), ऋण नीति (Credit Policy) एवं सतर्क तंत्र/ व्हिसिल ब्लोअर नीति (Vigil Mechanism /Whistle Blower Policy) तैयार की गई हैं।
- कॉरपोरेशन में कम्पनी अधिनियम/अन्य विनियम/नियमों की पालना में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (Corporate Social Responsibility Committee), वित्त समिति (Finance Committee), लेखा परीक्षा समिति (Audit Committee) एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (Nomination & Remuneration Committee) का गठन किया गया है।

➢ प्रगति

- कंपनी की सीएसआर नीति के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सीएसआर राशि ₹16.15 लाख के व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के अंतर्गत धारा 5.1(ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा तथा बच्चों महिलाओं, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ शामिल हैं के समर्थन में, कंपनी द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं के प्रस्तावों पर सीएसआर राशि व्यय की गई हैः–

क्र. सं.	संस्था का नाम	पता	कार्यो का विवरण	आवंटित राशि
1	ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उत्कर्ष	राजगढ़, अलवर, राजस्थान	दिव्यांग बच्चों के विद्यालय हेतु पूंजीगत अवसंरचना एवं अन्य आवश्यकताएँ	₹5.58 लाख
2	स्वीट वॉयस स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसएबिलिटीज	ग्राम चरनवास (अलीसर), तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान	फिजियोथेरेपी लैब, सेंसरी पार्क, आईडीडी विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक एवं व्यावसायिक उपकरण, टेबल–कुर्सी सेट, व्हाइट बोर्ड एवं स्मार्ट बोर्ड	₹5.82 लाख
3	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस	22–23, महात्मा गांधी नगर, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर	जयपुर जिले के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वंचित बच्चों हेतु पाठ्य–पुस्तकें/अध्ययन सामग्री (वार्षिक शैक्षणिक आपूर्ति)	₹4.75 लाख

- उपरोक्तानुसार, कंपनी की सीएसआर राशि का उपयोग शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास तथा आजीविका संवर्धन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया गया है।

- कॉरपोरेशन के द्वारा वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों से प्राप्त ऋण प्रस्ताव का मूल्यांकन कर कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार ऋण देने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं ऋणों को निम्नानुसार संवितरित किया गया:–

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.स.	विभाग का नाम	ऋण का विवरण	राशि	संवितरण तिथि
1.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC)	सावधि ऋण	05.00	22.04.2025
2.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC)	सावधि ऋण	10.00	19.12.2025
3	जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय जोधपुर (JNVU)	सावधि ऋण	40.00	28.07.2025
4	जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय जोधपुर (JNVU)	सावधि ऋण	10.00	13.08.2025
5	आमेर विकास और प्रबंधन प्राधिकरण (ADMA)	सावधि ऋण	50.00	12.01.2026

➢ **निदेशक मण्डल (Board of Directors) की बैठकों का सार–**

वर्ष 2025–26 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान निदेशक मंडल की कुल 01 बैठक आयोजित की गईं। इस बैठक में निम्नलिखित प्रमुख व्यावसायिक निर्णय लिए गए:

- राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों को स्वीकृत ऋणों के संबंध में संज्ञान (Take Note) लिया गया।
- आरबीआई निरीक्षण एवं जोखिम आकलन रिपोर्ट (IRAR) पर विचार कर सुधारात्मक कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया।
- कंपनी के मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण, प्रमुख पदों की पूर्ति, आईटी/एमआईएस सुदृढ़ीकरण तथा उधार स्वीकृति हेतु समिति को शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी निर्णय लिए गए।
- वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंतिम खातों को स्वीकृति दी गई।

➢ विगत तीन वर्षों की तुलना

(राशि लाख रू. में)

क्र. स.	वर्ष	ऋण वितरण
1	2022-23	35000.00
2	2023-24	160200.00
3	2024-25	38400.00
4	2025-26	6500.00*

*वर्ष 2025–26 के दौरान 31.12.2025 तक की उपलब्धि।

बजट 2025–26

(₹ लाखों में)

प्राप्तियाँ		बजट प्रावधान (2025–26)	प्राप्तियाँ (31.12.2025 तक)
I.	**राजस्व**		
1	ऋणों से ब्याज की प्राप्तियाँ	59,200	18,057.60
2	निवेश से प्राप्त ब्याज	4250	207.98
	योग I	**63,450**	**18,265.58**
II.	**पूँजी**		
1	राजकीय अंश	10,000	-
2	बॉण्ड उत्थापन / ऋण	1,30,000	1000
3	डिपोजिट(राजकीय संस्थापन से)	2,00,000	-
4	ऋण भुगतान	46,200	31,992.05
	योग II	**3,86,200**	**32,992.05**
	कुल योग I+II	**4,49,650**	**51,257.63**
व्यय		**बजट प्रावधान (2025–26)**	**व्यय (31.12.2025 तक)**
I.	**राजस्व**		
1	प्रशासनिक एवं संस्थापन व्यय	550.69	104.03
2	वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित	55,444	8156.79
3	बॉण्ड प्रक्रिया पर अन्य व्यय	1.00	-
4	अनुसंधान एवं विकास व्यय	3.00	-
5	सी.एस.आर में व्यय	17.00	-
	योग I	**56015.69**	**8260.82**
II.	**पूँजी**		
1	फर्नीचर	7.00	1.40
2	कार्यालय उपकरण	6.00	0.48
3	ऋण	1,30,000	6500.00
4	जमा भुगतान	1,10,000	-
	योग II	**2,40,013**	**6501.88**
	कुल योग I+II	**2,96,028.69**	**14,762.70**

31.12.2025 तक के आँकड़े उपार्जित पद्धति पर दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2025–26 की विशेष उपलब्धियाँ

1. कॉरपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में Indian Bank द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 200.00 करोड़ के विरूद्व वित्तीय वर्ष 2025–26 में 31.12.2025 तक ₹ 15.00 करोड़ का ऋण प्राप्त किया है।

2. कॉरपोरेशन ने वर्ष 2025–26 में दिनांक 31.12.2025 तक ₹ 15.00 करोड़ की राशि का ऋण प्राप्त किया है।

3. कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2025–26 में दिनांक 31.12.2025 तक विभिन्न संस्थाओं को राशि ₹ 65.00 करोड का ऋण संवितरित किया है।

4. कॉरपोरेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि ₹ 54.62 करोड़ (कर पश्चात्) का लाभ अर्जित किया गया हैं।

सार–संक्षेप

1. वर्ष 2012 में कॉरपोरेशन का गठन राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिये राजकीय कम्पनी के रूप में किया गया।

2. तत्पश्चात् वर्ष 2015 में कम्पनी का पुनर्गठन कर इसमें वित्तीय सेवाओं से संबधित उद्देश्य जोड़े गये। राज्य के उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि को RSPF&FSCL में जमा कराने एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंशपूँजी एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि से राज्य के अन्य राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये अधिकतम उपयोग किया जाना इस निगम का उद्‌देश्य है।

3. कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2025–26 में दिनांक 31.12.2025 तक विभिन्न संस्थाओं को राशि ₹ 65.00 करोड का ऋण संवितरित किया है।

4. कॉरपोरेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि ₹ 54.62 करोड़ (कर पश्चात्) का लाभ अर्जित किया गया हैं।

दूरभाष निर्देशिका

क्र. सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर	ईमेल
1.	श्री वैभव गालरिया आईएएस	अध्यक्ष, RSPF&FSCL एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	0141-2227664	rspfcl@rajasthan.gov.in
2.	श्री राजन विशाल आईएएस	प्रबंध निदेशक, RSPF&FSCL एवं शासन सचिव, वित्त (बजट)	0141-2227934	rspfcl@rajasthan.gov.in
3.	श्री हरीश लड्ढा	महाप्रबंधक (वित्त) (अतिरिक्त चार्ज)	0141-2227468	rspfcl@rajasthan.gov.in
4.	श्री ओम प्रकाश कुमावत	महाप्रबंधक (सिस्टम्स)	0141-2708611	rspfcl@rajasthan.gov.in
5.	श्री पंकज जाँगिड़	सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)	0141-2708611	rspfcl@rajasthan.gov.in
6.	श्री आशीष शर्मा	सहायक महाप्रबन्धक (लेखा) (अतिरिक्त चार्ज)	0141-2708611	rspfcl@rajasthan.gov.in
7.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	प्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611	rspfcl@rajasthan.gov.in
8.	श्री विष्णु अग्रवाल	प्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611	rspfcl@rajasthan.gov.in
9.	श्री जीवनधर गुप्ता	प्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611	rspfcl@rajasthan.gov.in
10.	सुश्री कृति जोशी	कम्पनी सचिव (संविदा फर्म)	0141-2708611	rspfcl@rajasthan.gov.in

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय :

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

प्रथम तल, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल,
2–2ए, झालाना डूंगरी,
जयपुर (राजस्थान)–302004

Phone: +91-141-2708611
Email: rspfcl@rajasthan.gov.in,
Website: http://rspfcl.rajasthan.gov.in

Save Power, Save Money